संख्या पर (एपी.बी)डी(1)–7/2016
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नियुक्ति–II)

....

दिनांक शिमला–171 002, 22 फरवरी, 2017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश

विषयः बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र बारे अनुदेश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के पत्र सं0 8-82/71-DP(Apptt.II) दिनांक 13–08–1975 के पैरा 2 (i) के प्रावधान के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की महिला निवासी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर जिसका स्थाई घर हि0 प्र0 से बाहर है, स्थाई निवासी (Bonafide) प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपात्र हो जाती है तथा पत्र सं0 Per(AP.B)A(3)-1/2000-Vol.III दिनांक 20–11–2009 द्वारा जारी सरकार के निर्णय के अनुरूप हिमाचली महिलाएं जिनका विवाह प्रदेश से बाहर होता है किन्तु वैधानिक तलाक के उपरान्त हि0 प्र0 में पुनः रहना आरम्भ कर देती हैं का स्थाई निवासी (Bonafide) प्रमाण पत्र प्राप्त करने का व्यपगत (lapsed) अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है अर्थात वह स्थाई निवासी (Bonafide) प्रमाण पत्र जारी/प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाती हैं।

2. हिमाचली महिलाएं जिनका विवाह प्रदेश से बाहर होता है को स्थाई निवासी (Bonafide) प्रमाण पत्र प्रदान करने का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन था । अब सरकार ने यह निर्णय

P. A. C.
DH
25 FEB 2017
Branch

लिया है कि प्रदेश से बाहर विवाहित महिला को हिमाचल की स्थायी निवासी होने की पात्रता को विवाहोपरान्त भी संरक्षित (protected) रखने का विकल्प प्रदान किया जाए, यदि यह उसके पति के राज्य की इस संदर्भ में प्रचलित नीति/ दिशानिर्देशों के प्रतिकूल न हो । इस विभाग के पत्रों दिनांक 13–08–1975 तथा दिनांक 20–11–2009 द्वारा परिचालित निर्णय/स्पष्टीकरण को इस निर्णय के अनुरूप संशोधित समझा जाए ।

3. बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु इस विभाग के पत्र सं0 Per(AP.B)A(3)-1/2000-Vol.III दिनांक 01–08–2009 में निहित तथा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें बिना बदलाव के लागू रहेंगी ।

4. सरकार के इस निर्णय को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित के ध्यानार्थ लाएं ।

भवदीय,

(ओम प्रकाश भंडारी)
अवर सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष सं0 0177 – 2628499

संख्या पर (एपी.बी)डी(1)–7/2016 दिनांक शिमला–171002, 22 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को मन्त्रिमण्डल की दिनांक 17–2–2017 की बैठक की मद संख्या–6 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. नस्ति सं0 Per(AP.B)A(3)-1/2013–टिप्पण की छायाप्रति सहित।
3. रक्षक नस्ति ।

अवर सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

******

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश, शिमला

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
14 MAR 2017
शिमला - 1

पृष्ठांकन सख्ंयाः ई0 डी0एन0(1)बी(15)1/2009–दिंनाक 14/3/2017
सुचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)हिमाचल प्रदेश शिमला–02 आपके पत्र संख्या पर(एपी.बी) डी(1)–7/2016 दिनांक 22–02–2017 के संदर्भ में सूचनार्थप्रेषित है ।
2. प्रधान सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. अति0 शिक्षा निदेशक स्कूल शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र0) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक का0–। / का0–।।. शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
6. संयुकत नियंत्रक (वि0 एवं लेखा). शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0प्र0।
7. उप निदेशक(उच्च)/ सहायक शिक्षा निदेशालय (उच्च) शिक्षा निदेशालय उच्च. हि0 प्र0।
8. समस्त प्राचार्य रा0 महा0 विद्यालय हि0प्र0 ।
9. समस्त उप निदेशक. हि0प्र0 अग्रिम कार्यवाही हेतू ।
10. तकनीकी अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्च) वेब साईट अप–डेट करने हेतू।
11. समस्त अधीक्षक शिक्षा निदेशालय (उच्च) हि0प्र0 उपरोक्त मामले पर आगामी कार्यवाही करें।
12. ~~अधिक्षक भवन एवं पैंशन शाखा उपरोक्त मामले पर आगामी कार्यवाही करें।~~
13. रक्षक नस्ति ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्र0)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
9/3/17

(66)